कार्यालय जनसम्पर्क अधिकारी
(राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय)
राजा पंचम सिंह मार्ग, ग्वालियर (म.प्र.) - 474002

क्र./जनसं/2020-21/178 दिनांक : 27-11-2020

विज्ञापन एजेंसी अनुबंधित करने बावत्

इस कार्यालय द्वारा समाचार पत्रों में जारी किये जाने वाले विज्ञापनों के प्रकाशन हेतु दो वर्ष की अवधि के लिए विज्ञापन एजेंसी अनुबंधित की जाना है। इच्छुक विज्ञापन एजेंसी विज्ञापन देयकों में प्रदाय की जाने वाली छूट (प्रतिशत आधार) के उल्लेख सहित अपने प्रस्ताव सीलबंद लिफाफे में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में दिनांक 14-12-2020 को सायं 4:00 बजे तक रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट से भेजें, जो दिनांक 15-12-2020 को सायं 3:00 बजे उपस्थित प्रस्तावदाताओं के समक्ष खोले जायेंगे। अधिकतम छूट प्रदान करने वाली एजेंसी को कार्यादेश दिया जायेगा। इस विषय में विस्तृत नियम/शर्तें तथा आवेदन प्रपत्र राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की वेबसाइट **www.rvskvv.net** से डाउनलोड करें, निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त प्रस्ताव ही मान्य किया जावेगा।

(सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी)

Size 6x8

कार्यालय जनसम्पर्क अधिकारी

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर

राजा पंचम सिंह मार्ग, ग्वालियर (म.प्र.) – 474002

फोन / फैक्स : 0751–2970230, 2970231
ईमेल : pro.rvskvv@gmail.com

दिनांक :

विज्ञापन एजेंसी हेतु आवेदन

1. फर्म / संस्था का नाम ....
2. फर्म / संस्था का पता ....
3. प्रबंधक / संचालक का नाम ....
4. दूरभाष नम्बर ....
5. ई–मेल ....
6. संस्था का पंजीयन प्रमाण पत्र (छायाप्रति संलग्न करें) ....
7. संस्था का आयकर खाता क्रमांक ....
8. संस्था का जी.एस.टी. क्रमांक ....
9. विश्वविद्यालय को दी जाने वाली छूट (प्रतिशत आधार में) ....
10. धरोहर राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट व तिथि का विवरण ....

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

फर्म / संस्था का नाम पद नाम

//नियम/शर्तें//

1. विश्वविद्यालय द्वारा समाचार पत्रों को विज्ञापन देयकों का भुगतान डी.ए.व्ही.पी./डी.पी. आर. दर पर किया जाता है। अतः एजेंसी को समाचार पत्रों के विज्ञापन देयक भुगतान हेतु डी.ए.व्ही.पी./डी.पी.आर. दर पर ही कार्यालय को प्रस्तुत करने होंगे।
2. विज्ञापन एजेंसी को अपने प्रस्ताव के साथ अधिष्ठाता कृषि संकाय, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को देय राशि रूपये 10000/– (दस हजार रूपये मात्र) की धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना धरोहर राशि के प्राप्त प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
3. सेवा शर्तों के उल्लंघन अथवा संतोषजनक सेवा प्रदान न करने की स्थिति में धरोहर राशि (रूपये दस हजार) राजसात कर ली जायेगी एवं अनुबंध समाप्त कर दिया जायेगा।
4. यह प्रस्ताव आदेश जारी होने के 24 माह की अवधि तक के लिए ही मान्य होगा।
5. फर्म शासन द्वारा समय–समय पर लागू सभी नियमों का पालन करेगी।
6. विज्ञापन सामग्री जनसम्पर्क कार्यालय, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर कार्यालय से प्राप्त करनी होगी।
7. विज्ञापन सामग्री प्रकाशित होने से पूर्व कार्यालय को प्रूफ दिखाना होगा।
8. विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद समाचार पत्र की दो प्रतियाँ बिल एवं रेट कार्ड के साथ पाँच दिन के अंदर देनी होगी।
9. संस्था का जी.एस.टी. क्रमांक अनिवार्य रूप से होना आवश्यक है। बिना जी.एस.टी. क्रमांक के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
10. किसी भी अथवा सभी प्रस्तावों को बिना कारण बताएं स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय प्रशासन का होगा।
11. समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी समाचार आदि समाचार पत्रों को भिजवाना होगे।
12. विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर का होगा।